कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।
E-Mail-eepwdthatyur@rediffmail.com Phone & Fax:- 01376-246321

पत्रांक 1510 /21सी0 दिनांक 18 /07 / 2025

सेवा में,

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग मसूरी।

विषय :– **जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत मसराना–किमोई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.3025 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/23731/2017)**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/61/2018/एफ0सी0 दिनांक 02.12.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस खण्ड की आख्या बिन्दुवार निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	Prima-facie it appears that the road cutting work has not been carried out on approved KML alignment. State Forest Department shall submit the detailed comment for the same.	मार्ग का निर्माण स्वीकृत संरेखण वनभूमि प्रस्ताव के अनुसार किया गया है। कुछ स्थानों पर KML फाईल बनाने के लिये कॉडिनेट लेते समय तकनीकी त्रुटि होने के कारण KML फाईल एवं वास्तविक कटिंक के बीच अन्तर प्रतीत हो रहा है, जो कि कॉडिनेट लेते समय त्रुटि होने के कारण हुआ है, जबकि मार्ग का निर्माण स्वीकृत संरेखण के अनुसार हुआ है।
2	The compliance report uploaded after 5 years, so as per the Chapter-3 (NPV) of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, NPV shall be applicable on revised rates.	बिन्दु संख्या 2, 3, 4 के अनुसार संशोधित दरों के अनुसार NPV, Wildlife area हेतु NPV, CA के अवशेष धनराशि रू0 7630176.00 चालान संख्या NEFT/RTGS CHALLAN FOR CAMPA FUNDS दिनांक 06.07.2025 को जमा कर दी गयी है।
3	Some part of proposed road falls under Wildlife Sanctuary, regarding NPV amount details of wildlife area shall be submitted/deposited.	
4	The amount of CA is required to be deposited as per the submitted CA scheme.	

18.7.25
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

पत्रांक /21 सी0 दिनांक / /2025

प्रतिलिपि :–1. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड को सूचनार्थ प्रेषित।
2 सम्बन्धित अपर सहायक अभियन्ता,/खण्डीय अमीन, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।
E-Mail:-eepwdthatyur@rediffmail.com
Phone & Fax:- 01376-246321

पंत्राक 1098 /21सी0 दिनांक 29 /5 / 2025

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
8वां वृत्त लो0नि0वि0,
नई टिहरी।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत मसराना–किमोई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.3025 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/23731/2027)

सन्दर्भ:– उप वन संरक्षक मसूरी वन प्रभाग मसूरी का पत्रांक 3808/12–1 मसूरी दिनांक 16.04.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत मसराना–किमोई मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु वर्तमान दरों पर एन0पी0वी0 की धनराशि तथा वर्तमान दरों क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि की मांग की गयी है। वर्तमान दरों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि रू0 15341761.00 आंकलित की गयी है, जबकि विभाग द्वारा पूर्व में क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन0पी0वी0 हेतु रू0 7711585.00 की धनराशि वन विभाग में जमा की जा चुकी है।

अतः क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन0पी0वी0 हेतु अवशेष धनराशि रू0 15341761.00–7711585.00 = रू0 7630176.00 की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

संलग्नः– सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति।

(इं0 एस0के0त्यागी)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

पत्रांक /21 सी0 दिनांक / /2025

प्रतिलिपि :–1. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड को सूचनार्थ प्रेषित।
2 सम्बन्धित अपर सहायक अभियन्ता,/खण्डीय अमीन, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 3808 /12-1 मसूरी, दिनांक- 16 / 04 / 2025

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पावती सं० 617
पत्रावली 21C
दिनांक 30/04/25
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०, थत्यूड़

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल।

विषय :- **जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत मसराना-किमोई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.3025 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यार्वतन (Online Proposal No. - FP/UK/ROAD/23731/2017)**

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या- 8बी०/यू०सी०पी०/06/61/2018/एफ०सी०/1014, दिनांक-02-12-2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या- 8बी०/यू०सी०पी०/06/61/2018/एफ०सी०/1014, दिनांक-16.01.2019 सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी, जिसके क्रम में कतिपय कमियां इंगित करते हुए सन्दर्भित पत्र **(संलग्नक-1)** के द्वारा 04 बिन्दुओं पर सूचनाएं चाही गयी है। उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या 2, 3 व 4 के अनुपालन में पुनरीक्षित डिमांड प्रेषित किया जाना है।

पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या-2941/12-1, दिनांक-06.03.2019 **(संलग्नक-2)** के द्वारा 10.6050 है० भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण एवं रखरखाव हेतु ₹ 2,78,665.00 प्रति है० की दर से ₹ 29,55,242.00 एवं प्रत्यावर्तित होने वाली भूमि 5.3025 है० हेतु एन०पी०वी० की धनराशि ₹ 8,97,000.00 प्रति है० की दर से ₹ 47,56,343.00, कुल ₹ 77,11,585.00 की धनराशि की डिमांड प्रेषित की गयी। उक्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल ₹ 77,11,585.00 की धनराशि कैम्पा फण्ड में जमा किया गया।

भारत सरकार के द्वारा सन्दर्भित पत्र से प्रदत्त दिशा निर्देशों के क्रम में क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन०पी०वी० की धनराशि की वर्तमान दरों के अनुसार पुर्नगणना निम्नवत की जाती है :-

1. **क्षतिपूरक वनीकरण एवं उसका 10 वर्षों तक रखरखाव**

   विषयांकित प्रस्ताव में प्रत्यावर्तित वन भूमि के एवज में ग्राम किमोई सिविल सोयम भूमि 10.6050 है० में प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसका 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाना है। वर्तमान में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-क-1191/3-5-2 (FC), देहरादून, दिनांक-26 मार्च 2025 **(संलग्नक-3)** के द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष देय धनराशियों का निर्धारण किया गया है। उक्त पत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु क्षतिपूरक वनीकरण की दर ₹ 5,43,037.00 प्रति है० निर्धारित की गयी है।

   अत: उक्तानुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु देय धनराशि- 10.6050 है० × 5,43,037.00 = ₹ 57,58,908.00

2. **एन०पी०वी० (NET PRESENT VALUE)**

   विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित होने वाली कुल वन भूमि 5.3025 है० में से 0.42 है० भूमि मसूरी वन्यजीव अभ्यारण के अन्तर्गत आती है। भारत सरकार की गाईडलाईन के पैरा 3.4 के निम्नवत उल्लिखित है :-

   NPV shall be charged to the extent of ten times of the normal NPV payable in the case of National Parks and five times in the case of Sanctuaries.

   किन्तू पूर्व में जारी डिमांड नोट में एन०पी०वी० का निर्धारण उक्तानुसार नहीं किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। उपरोक्त के दृष्टिगत एवं वर्तमान दरों के अनुसार एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार होगी :-

   - 4.8825 है० × ₹ 13,72,410.00 = ₹ 67,00,792.00
   - 0.42 है० × ₹ 13,72,410.00 = ₹ 5,76,412.20 × 5 = ₹ 28,82,061.00

   कुल एन०पी०वी की देयता = ₹ 1,53,41,761.00

क्रमश: -/- 2 -/-

उक्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के सापेक्ष कैम्पा कोष में जमा की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	मद	पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या-2941/12-1, दि० 26.03.2019 के अनुसार डिमांड नोट			भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधित डिमांड नोट		
		भौतिक	**दर**	**जमा धनराशि**	**भौतिक**	**दर**	**देय धनराशि**
1.	प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसका दस वर्षों तक रखरखाव	10.6050 ha.	278665.00 per ha.	29,55,242.00	10.6050 ha.	5,43,037.00 per ha.	**₹ 57,58,908.00**
2.	एन०पी०वी० (इको श्रेणी-VI घनत्व-0.5)	5.3025 है०	897000.00 per ha.	47,56,343.00	4.8825 है०	13,72,410.00 per ha.	₹ 67,00,792.00
					0.42 है० (वन्यजीव अभ्यारण की भूमि)	13,72,410.00 per ha.	₹ 5,76,412.20 × 5 = ₹ 28,82,061.00
					कुल एन०पी०वी०		**₹ 95,82,853.00**
योग :-				**77,11,585.00**			**₹ 1,53,41,761.00**
जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि = 15341761.00-7711585.00							**₹ 76,30,176.00**
₹ छिहत्तर लाख तीस हजार एक सौ छिहत्तर मात्र							

उक्तानुसार अवशेष धनराशि का भुगतान उच्च स्तर से सत्यापित हो जाने के उपरान्त ई-पोर्टल (https://parivesh.n.c.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) फंड में जमा करते हुए आख्या इस कार्यालय प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अमित कंवर)
उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या : / 12-1, उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि –

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्तानुसार संशोधित डिमांड को सत्यापित करने की कृपा करें।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
सत्यमेव जयते
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/61/2018/एफ.सी. **दिनांकः As per E-sign**

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः जनपद- टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अंतर्गत मसराना- किमोई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.3025 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/23731/2017)।

सन्दर्भः कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1226/FP/UK/ROAD/23731/2017 दिनांक 10-11-2022 (received online 23.08.2024).

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16.01.2019 द्वारा प्रस्ताव में प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अनुपालना आख्या में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी है। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेः-

1. Prima-facie it appears that the road cutting work has not been carried out on approved KML alignment. State Forest Department shall submit the detailed comment for the same.
2. The compliance report uploaded after 5 years, so as per the Chapter-3 (NPV) of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, NPV shall be applicable on revised rates.
3. Some part of proposed road falls under Wildlife Sanctuary, regarding NPV amount details of wildlife area shall be submitted/deposited.
4. The amount of CA is required to be deposited as per the submitted CA scheme.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

भवदीया,

Signed by Neelima Shah
Date: 02-12-2024 14:14:32

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 06-07-2025

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6123731395
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/61/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	E.E. Ty. Divi. P.W.D. Thatyur Tehri GarhwalTehri Garhwal
Amount(in Rs)	7630176/-

Amount in Words :Seventy-Six Lakh Thirty Thousand One Hundred and Seventy-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896123731395 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 06-07-2025

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6123731395
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/61/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	E.E. Ty. Divi. P.W.D. Thatyur Tehri Garhwal Tehri Garhwal
Amount(in Rs)	7630176/-

Amount in Words :Seventy-Six Lakh Thirty Thousand One Hundred and Seventy-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896123731395 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank